(b) if so, what are the details in this regard; and

(c) what is the reaction of Government in regard thereto ?

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF FOOD AND CIVIL SUPPLIES (SHRI H. K. L. BHAGAT): (a) to (c) The World Development Report, 1986 has mentioned that the Indian Government, through the Food Corporation of India and other State agencies, runs one of the largest food distribution system in the world. The system has succeeded in providing greater price stability for consumers than would have existed otherwise. The Report, however, refers to high cost of holding the buffer stocks of about 30 million tons of grains which is equal to more than two years of sales from the fair price shop system.

. The "food security system" in tlndia is based on the policy objec-¡ives of price stability, equitable distribution of foodgrains at reasonale prices, especially to vulnerable segment of the population and self-sufficiency in foodgrains by providing remunerative prices to the farmers so as to give them sufficient incentive for introduction of modern techniques for increasing the production of wheat and rice. Adequate procurement of foodgrains, buffer stocking and efficient public distribution system are the three main components of the Food Security System. A buffer stock of foodgrains is needed to serve as an insurance against crop failures and ensure interseasonal stability in supplies and prices. Operational stocks, in addition to buffer stock, are required for the smooth running of the pub-lio distribution system till the quantities procured from new crop become available for distribution.

विद्युत से चलने वाले खड़े कोल्हू लगाने पर प्रतिबंध

555. **श्री सत्यपाल मलिक :** क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को इस बात की जानकारी है कि पावर से चलने वाले खड़े कोल्हू लगाने पर कुछ राज्यों में किसानों पर विभिन्न किस्म की पाबन्दियां लगाई गई हैं ; और

(ख) ये पाबन्दियां लगाने के क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) और (ख) बिजली से चलने वाले ऋशरों के परिचालनों को विनियमित करने, लाइसेंस देने आदि की शक्तियां राज्य सरकारों के पास हैं, जिनका इस्तेमाल करने के लिए केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति प्राप्त करना अपेक्षित नहीं है । अत: केन्द्रीय सरकार को बिजली से चलने वाले बर्टिकल कोल्हुओं पर राज्य सरकारों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों, यदि कोई लगाए गए हैं, के बारे में कोई जानकारी नहीं है।

यमुना नदी पर ताजवाला के निकट बैराज का निर्माण

556. **श्री सत्यपाल मलिक** : क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यमुना नदी पर ताजेवाला के निकट एक नया बैराज बनाने के संबंध में उत्तर प्रदेश तथा हरियाणा सरकार के मध्य हुए करार को लागू करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ; और

(ख) क्या इस करार को लागू करने के लिये कोई समयावधि तय की गई है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) दोनों राज्य सरकारों ने इस परियोजना को क्रियान्वित करने के लिए एक संयुक्त निदेशन समिति गठित की है । बेराज को तीन कार्य-मौसमों में पूरा करने का कार्यक्रम है ।